

तह निमग्न के विरहित है। यूपीपीसीएल से 7 दिनों के अंदर विसृत रिपोर्ट देनी, उपभोक्ता परिषद की ओर से बताया कि फुल्ल एड पद पर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की गणना में मार्च- 2026 की वास्तविक बिजली खरीद लागत तो है। लेकिन, 1400 करोड़ रुप के प्रीमियम एडजस्टमेंट की पुराने भुगतान और अन्य कटौतियों को भी शामिल किया गया है। यह कानून का उल्लंघन है। उपभोक्ता परिषद ने आयोग को बताया कि अक्टूबर- 2025 में यूपीपीसीएल ने सही गणना की होती, तो जून- 2025 में उपभोक्ताओं पर करीब 2% की तह बिजली बिलों में कमी लागू होती। परिषद ने आयोग को बताया कि अप्रैल- 2025 में बिजली खरीद लागत करीब 4.94 रुप प्रति यूनिट थी। जबकि मार्च- 2026 के लिए 5.86 रुप प्रति यूनिट। बिजली दारिद्र्य उपभोक्ताओं पर लगाम 1610 करोड़ का अधिकारिता विलों को बंद डाल दिया गया। यूपीसीसीएल ने 30 डब (शौचनार) 100 फुल्ल एड पद परचेज एडजस्टमेंट संचालन लागू आता जा रही किया था। सरकार कोया मतलब है कि उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत ज्यादा बिल चुकाना होगा। अगर किसी का बिजली बिल 100 रुप आता है, तो उसे 110 रुप अडवांस होवे। वहीं, उपभोक्ता परिषद ने बताया कि मार्च- 2025 में यूपीसीएल पर तहकाब करके बिजली की मांग को कम





